प्र.सं. ..../ दावा / प्र.पत्र / ....

	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
24/12/25	त्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमा उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अत पत्रावली साबिक कार्यवाही हेतु दिनांक 7/1/26 को पेश	
7/1/26	पत्रावली पेश हुयी बहस उभयपक्ष सुनी गयी। वकील प्रार्थीया ने दोराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खसरा सं0 37 रकबा 3 बिस्वा, खं0 सं0 111 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, खं0 सं0 113 रकबा 4 बिस्वा, खं0 सं0 193 रकबा 8 बिस्वा, खं0 सं0 194 रकबा 5 बिस्वा, खं0 सं0 195 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा, खं0 सं0 216 रकबा 2 बीघा 3 बिस्वा, खं0 सं0 217 रकबा 2 बीघा, खं0 सं0 218 रकबा 6 बीघा 15 बिस्वा, खं0 सं0 230 रकबा 3 बीघा 11 बिस्वा, कुल किता 10 कुल रकबा 21 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम व माल सांदडी तह0 तालेडा में स्थित है। उक्त वर्णित कृषि भूमि के पूर्व खातेदार श्रीलाल, रामनारायण पिता नन्दराम कौम ब्राहम्ण साकिन देह खातेदार दर्ज थे। प्रमाणस्वरुप प्रमाणित प्रति जमाबंदी सम्वत् 2038 से 2041 की खतोनी सं0 नई 77 पेश की गई है। उक्त सहखातेदार श्रीलाल प्रार्थी के पिता थे, जिनका देहान्त हो गया है। प्रार्थना पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित कृषि भूमि में प्रार्थी मूलचन्द का वैधानिक रुप से 1/4 हिस्सा है एवं अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 का संयुक्त रुप से 1/4 हिस्सा है, शेष 1/2 हिस्सा अप्रार्थीगण 6 लगायत 10 स्व0 रामनारायण आ0 श्री लालचंद के उत्तराधिकारीगण का है अप्रार्थी क्रम 11,12,13 एवं 14 को स्वर्गीय कन्हैयालाल ने बैचान की है, इस कारण उन्हे पक्षकार बनाया गया है। प्रार्थी के पिता श्रीलाल आ0 नन्दराम का सन् 1994 में स्वर्गवास हो गया था। इसके पश्चात स्व0 कन्हैयालाल ने गलत सूचना देकर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके प्रार्थी को सूचित किये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना सम्पूर्ण भूमि स्व0 श्रीलाल का 1/2 हिस्सा भूमि अकेले स्वंय के नाम दर्ज करवा लिया। जबकि स्व0 श्रीलाल के 1/2 हिस्से भूमि में प्रार्थी एवं कन्हैयालाल का समान रुप से 1/2-1/2 हिस्सा है अर्थात सम्पूर्ण खाते में प्रार्थी मूलचंद का 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थीगण 1 लगायत 5 का संयुक्त रुप से 1/4 हिस्सा तथा अप्रार्थी क्रम 6 लगायत 10 का संयुक्त रुप से 1/2 हिस्सा है। स्व0 श्रीलाल के देहान्त के पश्चात खोले गये अवैध नामान्तकरण से अप्रार्थी क्रम 1 लगायत 5 एवं स्व0 कन्हैयालाल को प्रार्थी के विरुद्ध कोई अधिकार प्राप्त नहीं हुआ है। प्रार्थी अपने वैधानिक खातेदारी एवं 1/4 हिस्से की कृषि भूमि पर निरन्तर अप्रार्थीगण की जानकारी में स्वयं को खातेदार प्रकट करते हुये काबिज काश्त चला आ रहा है। वाद विषयक कृषि भूमि में से खसरा सं0 111 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा, तथा खसरा सं0 218 रकबा 15 बीघा 6 बिस्वा में से पूर्वी तरफ की 4 बीघा भूमि प्रार्थी मूलचंद के कब्जे काश्त में स्व0 श्रीलाल के समय से ही चली आ रही है। यदि अप्रार्थीगण वाद विषयक भूमि में से प्रार्थी के कब्जे काश्त में चली आ रही भूमि पर जबरन कब्जा करने निर्माण कार्य करने, प्रार्थी को बेदखल करने एवं कृषि भूमि को अन्य व्यक्तियों को रहन , बैचान करने पर सफल हो गये तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी। इस कारण अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक है। दौराने बहस वकील अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को संक्षिप्त में दोहराते हुए निवेदन किया कि श्रीलाल आ0 नन्दराम का सन् 1994 में स्वर्गवास होने का तथ्य गलत है। श्रीलाल जी का स्वर्गवास दिनांक 05.01.1990 को हुआ है। स्वर्गीय कन्हैयालाल द्वारा गलत सूचना दे कर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर प्रार्थी को सूचित किये बिना एवं सुनवाई का अवसर दिए बिना सम्पूर्ण भूमि में स्वर्गीय श्रीलाल का 1/2 हिस्सा अपने नाम दर्ज करवाने का तथ्य अस्वीकार है। प्रार्थी मूलचंद का विवादित भूमि में 1/4 हिस्सा होना अस्वीकार है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अप्रार्थीगण को परेशान करने एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 जो स्वर्गीय कन्हैयालाल आ0 श्रीलाल जी के पुत्र, पत्नि व पुत्रीया है। उनके खाते की भूमि को हडप करने के उद्धेश्य से उक्त झूठा वाद एवं अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। वास्तविकता यह है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि में न तो कोई हिस्सा है न ही उसका उक्त भूमि पर कोई अधिकार है। विवादित भूमि में स्वर्गीय श्रीलाल	

प्र.सं. ...../ दावा / प्र.पत्र / .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

आ0 नन्दराम जी का 1/2 हिस्सा था उनके द्वारा अपने जीवन काल में ही विवादित भूमि में अपने 1/2 हिस्सें की भूमि को कन्हैयालाल को वसीयत कर दी थी। श्रीलाल जी के स्वर्गवास के उपरांत राजस्व रिकार्ड में कन्हैयालाल जी का नाम दर्ज हुआ जिसकी जानकारी वादी को प्रारम्भ से ही है उसके उपरांत भी प्रार्थी द्वारा कन्हैयालाल जी के नाम नामान्तकरण तस्दीक करने की कोई अपील नही की, इसलिए प्रार्थी स्टाप्ड है। श्रीलाल जी द्वारा कन्हैयालाल के पक्ष में वसीयत करने के अलावा स्वयं प्रार्थी मूलचंद द्वारा दिनांक 14.05.1985 को रूबरू गवाहान अपने हिस्से की भूमि को कन्हैयालाल को 24000 रूपये के प्रतिफल में बैचान कर दिया था जिसका कागज सूरजमल आ0 श्रीलाल जो प्रार्थी के बडे भाई है उनके द्वारा लिखा गया था। इस प्रकार प्रार्थी का विवादित भूमि में कोई अधिकार नही है उसका जो भी अधिकार व हिस्सा बनता था उसके द्वारा कन्हैयालाल को बैचान कर दिया था। कन्हैयालाल जी ने भविष्य में कोई विवाद न हो इस तथ्य को ध्यान में रख कर अपने पक्ष में वसीयतनामा होने के उपरांत भी प्रार्थी मूलचंद को रकम अदा कर उसके हिस्से की भूमि क्रय कर ली थी। अप्रार्थी सं0 1 लगायत 5 विवादित भूमि के खातेदार कृषक है जिनके विरूद्ध प्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने का कोई अधिकार प्राप्त नही है प्रार्थी के पक्ष में अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो उसकी तुलना में अप्रार्थीगण को अधिक क्षति होगी। प्रार्थी का न तो प्रथम दृष्टया केस प्रमाणित है और न ही सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु उसके पक्ष में है।

बहस उभयपक्ष पर मनन करने एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पंहुचे है कि वाद वर्णित आराजी मूल रूप से नकल जमाबन्दी सवंत् 2034 से 2037 अनुसार श्रीलाल, रामनारायण पिसरान नन्दराम कौम ब्राहम्ण के खातेदार दर्ज रिकार्ड थी जो श्रीलाल की मृत्यु के बाद में नकल जमाबन्दी संवत् 2071 से 2074 प्रतिवादीगण के खाते दर्ज रिकार्ड हुयी। उक्त जमाबन्दी में श्रीलाल जी की मृत्यु के पश्चात वादी मूलचंद का नाम विलोपित किस आधार पर हुआ यह प्रकरण में जांच का बिन्दू है। जो कि मूलवाद में साक्ष्य दस्तावेज के आधार पर निर्धारित होगा कि वादी मूलचंद के वारिसान वाद वर्णित आराजी में हक अधिकार रखते है अथवा नही। चूंकि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्य जैसे कि श्रीलाल की मृत्यु दिनांक एवं श्रीलाल के वारिस के तथ्यों में भिन्नता है। उक्त बिन्दू भी साक्ष्य दस्तावेजो के आधार पर ही निर्धारित होगा। प्रकरण में प्रस्तुत जमाबन्दी संवत् 2034–37 का अवलोकन करने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। प्रकरण में अंकित प्रार्थना पत्र के तथ्य एवं जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से कुछ तथ्य प्रकरण में प्रश्नात्मक एवं विरोधाभासी होने से प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को सुविधा का संतुलन के बिन्दू पर लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। अपूरणीय क्षति के बिन्दू पर विचार करने पर नकल जमाबन्दी संवत् 2034–37 एवं अन्य तथ्यों पर विचार किया जाने पर अपूरणीय क्षति का बिन्दू पक्षकारों के लिये समान प्रभाव रखता है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रकरण में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य लिटिगेशन को अधिक बढने से रोकने के लिये स्थाई निषेधाज्ञा से पक्षकारों को पाबंद किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण को ताफेसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आराजी खं0 सं0 111 रकबा 1 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम सांदडी तहसील तालेडा की रिकार्ड एवं मौके की यथा स्थिति बनाये रखे। पत्रावली फेसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तामिल तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय श्रीमान उपख

प्रार्थना पत्र संख्या –

1. मूलचन्द्र

सांद